न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या– 37 / 2022 प्रारम्भिक निर्णय दिनांक– 28.04.2025

1 श्रीमती केसर पत्नि धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

——वादीया

बनाम

1 श्री अमरा पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 कावडी पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री जीवा पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 मरती पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 लक्ष्मी पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6 लखमा पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7 शांति पिता धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8 श्रीमान् तहसीलदार साहब झौथरीपाल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :—वकील श्री श्रवण रावल वादी की ओर से
वकील श्री श्रीकांत जैन प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि यहकि वादीया व प्रतिवादीगण गांव रखोडिया तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। वादीया व प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952 / 1, 952 / 2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर होकर वादीया व प्रतिवादीगण पुर्वजों से काबिज होकर कृषि कार्य करते है।वादीया अपने संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मे पारिवारिक बंटवारे अनुसार आयी हिस्से भुमि में काश्त कर रही थी उसी समय प्रतिवादीगण वादीया को अपनी आराजी में काश्त करने में रूकावट उत्पन्न कर अपनी भुमि बताकर विवाद करने लगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से कारण पुछा तो कहने लगे तेरा उक्त जमीन पर कोई अधिकार नहीं है।

क्रमशः पेज 2 पर

Sony
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

तेरा इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। जिससे उक्त जमीन पर तेरा कोई हक एवं अधिकार नहीं है। जिस पर वादीया ने हाल जमाबंदी की नकल निकालकर हाल जमाबंदी में वादीया व प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बावजूद प्रतिवादीगण वादीया को मौके से हटाकर सम्पूर्ण आराजी को हडपकर बेदखल करने की नियत से धमकी देने लगा। व वादीया को अपने कब्जे की भुमि पर काश्त करने रूकावट उत्पन्न करने लगा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जो म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है।वर्तमान मे प्रतिवादीगण वादीया को अपने पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त जमीन में खेतीबाडी करने में रूकावट उत्पन्न कर रहा है। जबकि मौके पर वादीया एवं प्रतिवादीगण पारिवारिक हिस्से के अनुसार काश्त कर रहे है। लेकिन अब तक विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं बनता है कि बिना बंटवारे के संयुक्त हिस्से की कब्जे काश्त की वादग्रस्त भुमि पर कब्जा कर हडप ले। सम्पुर्ण वाद ग्रस्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण की विरासती आराजी है। जिसका मौके व रिकॉर्ड में विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे वादीया व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज है। प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती व राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत होना बताकर डरा धमकाकर सम्पूर्ण जमीन को हडपने की नियत से रोजाना विवाद उत्पन्न कर वर्तमान में विवाद उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके पर बिना बंटवारे किए जाने पर वाद विविधता विवाद बढता जाएगा। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि प्रतिवादीगण बिना बंटवारा किये वादग्रस्त आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952/1, 952/2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर होकर जिसका कोई हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करे न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादीत करे जिससे राजस्व रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरीत माना जावे तथा वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952/1, 952/2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर के अनुसार अलग अलग खाते कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 लखमा पिता धूला की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल डामोर उपस्थित हुए। वहीं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 की नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब का लम्बे से इंतजार के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जवाब बंद किया गया।

वादी ने अपने समर्थन में लिखित व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

पीडब्ल्यु 1– वादी केसर पत्नि धुला जाति मीणा निवासी रखोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

पीडब्ल्यु 2– श्री लक्ष्मण पारगी पिता कालु पारगी निवासी हडमतिया रास्तापाल

पीडब्ल्यु 3– खातरा कटारा पिता भगवान कटारा निवासी खरपेडा

प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी दिनांक 12.04.2022

क्रमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952/1, 952/2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर में मौके पर कब्जे व रिकॉर्ड के हिस्सा अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किया जाकर खातेदारी अधिकार बटवारा स्कीम के तहत कानुनी बंटवारा कराया जाकर अलग अलग खाते कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी विरासती आराजी वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952/1, 952/2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर में मौके व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार एवं पारिवारिक बंटवारे अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किया जाकर खातेदारी अधिकार बंटवारा स्कीम के तहत निर्णय करना उचित समझता हूँ।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952/1, 952/2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर भूमि में मौके पर उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौके व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार हिस्सा देते हुए अच्छी से अच्छी किस्म/लोकेशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार भूमि देते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करें। सभी पक्षकारों को नोटिस देकर सूचित कर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। निर्णय अनुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार सीमलवाडा से तलब की जाए। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा डिक्री कायम हो।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

इजलास श्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा श्री सोनू कुमार गुर्जर

प्रकरण संख्या– 37/2022 रेवेन्यु

श्रीमती केसर बनाम अमरा वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू:– श्री सोनू कुमार गुर्जर
व हाजरी:–

श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई उपस्थित व श्री भंवरलाल डामोर मिनजानिब मुदायलाह की ओर, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिकी किया जाकर तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा रखोडिया में खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 936, 946, 948, 951, 952/1, 952/2, 969, 970, 971 खेत किता 9 कुल रकबा 6.9930 हैक्टेयर भूमि में मौके पर उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौके व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार हिस्सा देते हुए अच्छी से अच्छी किस्म/लोकेशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार भूमि देते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करें। सभी पक्षकारों को नोटिस देकर सूचित कर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। निर्णय अनुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार सीमलवाडा से तलब की जाए। तदनुसार प्रारम्भिक डिकी पर्चा डिकी कायम हो।

आज दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 28.04.2025 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी . . . .
ओहदा . सीमलवाड़ा . . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्पअरजीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजेहसबुत मेहनतानावकील फीसकमीश्नर खर्चागवाहान बबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअरजी मेहनतनामावकील खर्चागवाहान फिसकमीश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

Scanned with OKEN Scanner